संख्या-38/2024/सा-3-505/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 के क्रम में कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाते में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 सपठित शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 22.08.2024 में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को जिन्हें उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत कवर किया गया है, को "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था उल्लिखित है कि पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। अत: शासनादेश दिनांक 28.06.2024 एवं कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण दिनांक 22.08.2024 के व्यवस्था के अनुक्रम में धनराशियों के अंतरण के लेखांकन की प्रक्रिया इस शासनादेश के प्रस्तर 3, 4 एवं 5 के अनुसार निर्धारित की जाती है।

3- **<u>राजकीय कर्मचारी-</u>**

राजकीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) खाते में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1). **खातों में कर्मचारियों के अंशदान का समायोजन:** कर्मचारी अंशदान की धनराशि को कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाते में जमा की जायेगी तथा उस पर ब्याज लगाते हुए जी.पी.एफ. खाते को अद्यावधिक किया जायेगा।

(2). **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन**: अनुदान संख्या 62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष- "2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-सिविल- 911- अधिक भुगतान की कटौती की वसूली-03-एन0पी0एस0 के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान" के मानक मद "33- पेंशन/अनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" में (-) डेबिट के रूप में लेखांकित किया जायेगा।

(3). **निवेशों के अधिमूल्यन (increment) के कारण अभिदान के वर्धित मूल्य का समायोजन:** अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान पर अर्जित आय की धनराशि को प्राप्ति लेखा शीर्ष "0071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए अंशदान तथा वसूली-01-सिविल- 800- अन्य प्राप्तियां-03-एन0पी0एस0 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत राजकोष में जमा कर लेखाबद्ध किया जायेगा।

4- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों के एन0पी0एस0 खाते में जमा धनराशियों का अंतरण संबंधित लेखाशीर्षों में निम्नानुसार किया जायेगा-

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) कार्मिक के विभाग से संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी (DDO) द्वारा संबन्धित कार्मिक का सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाता खुलवाकर शासनादेश संख्या-07/2017/सा-3-108/दस-2017-301(9)-2011 दिनांक 20.03.2017 में निहित व्यवस्था अनुसार सभी निर्देशित दस्तावेजों सहित प्रकरण संबन्धित कोषागार (DTO) को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) संबन्धित कोषागार (DTO) द्वारा उक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार सी0आर0ए0 पोर्टल की ''एरर रेक्टिफिकेशन मॉडयूल (ईआरएम)'' द्वारा "रीडक्शन ऑफ नॉन एन0पी0एस0 कंट्रीब्यूशन" का प्रयोग कर वेरिफाई करते हुये निदेशक, पेंशन निदेशालय (DTA) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(3) कोषागार से प्रकरण प्राप्त होने के उपरान्त पेंशन निदेशालय द्वारा सीआरए पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन का प्रयोग कर कार्यवाही को पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात ट्रस्टी बैंक द्वारा निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में खोले गए खाते में संबन्धित धनराशि का अंतरण किया जायेगा। इसके साथ ही सी0आर0ए0 (मे. प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलाजीज निवर्तमान एन0एस0डी0एल0) द्वारा उक्त धनराशि से संबन्धित विस्तृत विवरण, जिसमें अभिदाता अंशदान, राज्य सरकार (नियोक्ता) अंशदान, अभिदाता अंशदान पर अर्जित आय एवं राज्य सरकार (नियोक्ता) के अंशदान पर अर्जित आय पृथक-पृथक उल्लिखित हो, निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, संबन्धित कार्मिक, कार्यालयाध्यक्ष, संबन्धित कोषागार तथा संबन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निदेशक, पेंशन द्वारा राज्य सरकार के अंशदान, कार्मिक के अंशदान पर अर्जित आय तथा राज्य सरकार के अंशदान पर अर्जित आय की धनराशियाँ इस आदेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी तथा इसकी सूचना संबंधित कार्मिक, कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(5) कार्मिक द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाता खुलवाकर, अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से सप्रमाण निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा निदेशक, पेंशन द्वारा अभिदाता अंशदान की राशि उक्त जी0पी0एफ0 खाते में ई-राजकोष के माध्यम से जमा करायी जायेगी एवं इसकी सूचना संबंधित कार्मिक, कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एन.पी.एस. के अन्तर्गत विभिन्न माहों में कार्मिक के वेतन से की गयी अभिदाता अंशदान की कटौतियों की धनराशि कार्मिक के जी0पी0एफ0 खाते में उ0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 के नियम 11(3) की व्यवस्थानुसार संबंधित माह में जमा दिखायी जायेगी।

(6) कर्मचारी के जी0पी0एफ0 खाते में उपरोक्तानुसार अंतरित धनराशि पर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रचलित दरों पर ब्याज का आगणन कर जी0पी0एफ0 पासबुक अद्यावधिक की जायेगी तथा जी0पी0एफ0 पासबुक की प्रमाणित प्रति एवं निदेशक, पेंशन द्वारा जमा करायी गयी धनराशि का अभिलेखीय विवरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा ताकि महालेखाकार द्वारा जी0पी0एफ0 खाते को अद्यावधिक किया जा सके।

(7) यदि किसी कार्मिक के एन0पी0एस0 अभिदान की प्रारम्भिक कटौती पेंशन निदेशालय के स्तर पर खुले डी0सी0आई0 खाते में जमा की गयी हो तो, निदेशक, पेंशन द्वारा डी0सी0आई0 में जमा धनराशि में से केवल अभिदाता अंशदान की धनराशि ही कार्मिक के जी0पी0एफ0 खाते में अंतरित की जायेगी तथा राज्य सरकार का अंशदान एवं ब्याज (अभिदाता अंशदान एवं राज्य सरकार के अंशदान पर लगाया गया ब्याज जो निदेशक, पेंशन द्वारा कार्मिक के प्रान खाते में अंतरित किया गया था) की धनराशि क्रमश: प्रस्तर-3(2) एवं 3(3) में उल्लिखित लेखाशीर्षों में जमा करायी जायेगी।

(8) ऐसे कार्मिक जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे, परन्तु उक्त शासनादेश की व्यवस्था से आच्छादित होते हैं तथा जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किये जाने हेतु विकल्प दिया गया हो एवं जिन्हें उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके लिए पात्र पाते हुए आदेश निर्गत कर दिया गया हो, के मामलों में, राज्य सरकार के अंशदान तथा उस पर अर्जित आय, जिसका भुगतान संबंधित कार्मिक द्वारा एन0पी0एस0 से निकासी के समय प्राप्त कर लिया गया है, को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराया जायेगा। ब्याज का आगणन कार्मिक द्वारा उक्त भुगतान प्राप्त करने की तिथि से धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने तक

5/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की अवधि के लिए किया जायेगा तथा ब्याज की दर संगत अवधि में जी0पी0एफ0 पर लागू रहे ब्याज की दर होगी। राज्य सरकार के अंशदान की राशि प्रस्तर-3(2) में तथा उस पर अर्जित आय एवं उपरोक्तानुसार आगणित ब्याज की राशि प्रस्तर-3(3) में उल्लिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही संबंधित कार्मिक द्वारा पेंशन प्रपत्र भरने की कार्यवाही की जायेगी। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ई-पेंशन पोर्टल पर प्रपत्र पूर्ण करने के साथ-साथ धनराशि जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप संबंधित चालान की कोषागार द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। राज्य सरकार के अंशदान, उस पर अर्जित आय एवं ब्याज की धनराशियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

5- **<u>राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं/ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं/ परिषदीय विद्यालयों के कर्मचारी</u>**-

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं/ परिषदीय विद्यालयों के कार्मिकों के संबंध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी। इन संस्थाओं के प्रकरण में संगत राज्य नोडल प्राधिकारी द्वारा वे समस्त कार्यवाहियां की जायेगीं जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 के लिये निर्धारित की गयी हैं। इन संस्थाओं के प्रकरण में नियोक्ता अशंदान अनुदान संख्या-62, जो प्रस्तर-3(2) में उल्लिखित है, के स्थान पर विभागीय अनुदान संख्या, जिसके अंतर्गत करायी गयी बजट व्यवस्था से नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया जा रहा है, के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01- सिविल- 911- अधिक भुगतान की कटौती की वसूली-03-एन0पी0एस0 के अन्तर्गत नियोक्ता अंशदान" की मानक मद "33- पेंशन/अनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" में (-) डेबिट द्वारा जमा कराया जायेगा।

इन संस्थाओं के कार्मिकों के अभिदाता अंशदान की धनराशि तथा अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान पर अर्जित आय की धनराशियां क्रमश: प्रस्तर 3(1) एवं 3(3) में उल्लिखित लेखाशीर्षों में जमा करायी जायेगी।

6/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-38/2024/सा-3-505(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्त विभाग के पत्र संख्या-3-472/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 16.10.2024 के क्रम में।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(5). वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6). पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।

(7). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली।

(8). श्री नितिन जोशी, वाईस प्रेसीडेन्ट एवं नेशनल हेड, पेंशन रिलेशन्स (एन0पी0एस0), प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलोजीज, लिमिटेड, मुम्बई।

(9). ट्रस्टी बैंक (ऐक्सिस बैंक लि0, कार्पोरेट ऑफिस), मुम्बई।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।